

बिहार सरकार
विधि विभाग

फैक्स

प्रेषक,

अखिलेश कुमार जैन,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

जिला दण्डाधिकारी,
नालन्दा, बिहारशरीफ ।

पटना, दिनांक.....04-09-15

विषय:- नालन्दा, बिहारशरीफ जिला के लिए अपर लोक अभियोजको की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-1690/विधि, दिनांक-01.08.2012 के प्रसंग में निदेशानुसार संसूचित करना है कि राज्य सरकार ने निम्नलिखित अधिवक्ताओं को नालन्दा, बिहारशरीफ जिला के लिए अपर लोक अभियोजक नियुक्ति करते हुए नया पैनल गठित की कृपा की है :-

क्रम सं०	अधिवक्ताओं का नाम	पंजीयन संख्या
1.	श्री श्री प्रसाद सिन्हा	68/66
2.	श्री राजेन्द्र दास	311/73
3.	श्री किशोरी प्रसाद-1	489/75
4.	श्री मो० कैसर इमाम	579/79
5.	श्री अजय कुमार रस्तोगी	1434/80
6.	श्री रमाशंकर प्रसाद	149/84
7.	श्री मनोज कुमार आजाद	561/87
8.	श्री महेश सिंह यादव	1055/89
9.	श्री सुनील कुमार सिन्हा	1118/89
10.	श्री एस०एम० असलम	293/90
11.	श्री सुनील कुमार	1060/90
12.	श्री रामवृक्ष प्रसाद	2208/96
13.	श्री राणा रणजीत सिंह	4909/96
14.	श्री राम बिहारी आर्या	934/98
15.	श्रीमती कुमारी स्नेहलता 'सुजाल'	4509/99
16.	श्री कुमारी निर्मला सिन्हा	3974/01

हिलसा अनुमंडल

1.	श्री राजाराम सिंह	10/70
2.	श्री चन्द्रभूषण प्रसाद सिंह	394/75
3.	श्री ब्रजमोहन प्रसाद	26/74
4.	श्री ऐजाज अहमद	870/86
5.	श्री रघुनन्दन राम	222/90
6.	सुश्री मंजू शर्मा	9867/96

2. उक्त पैनल की कालावधि तीन वर्षों की होगी। अतएव अनुरोध है कि तीन वर्षों की अवधि पूरा होने के चार माह पूर्व ही नये पैनल का पूर्णगठन करा लिया जाय।

3. इस आदेश के निर्गत होने के पश्चात् पुराना पैनल स्वतः समाप्त समझा जायेगा। उक्त पैनल अधिवक्ता के सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क ही देय होगा। तथा अन्य पदों पर नियुक्त होकर कार्य करने पर भी एक ही दैनिक शुल्क देय होगा।


4. इस शर्त के साथ की गई है कि सहायक अभियोजन पदाधिकारी से अपर लोक अभियोजक के सभी शेष 15 पदों पर में सामान्य प्रोन्नति होने की तिथि से नीचे से क्रमशः क्रमांक-16 पर नियुक्त अपर लोक अभियोजक की नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

विश्वासभाजन

(अखिलेश कुमार जैन) 5/9
सरकार के सचिव, बिहार।


ज्ञापांक:- 5676/जे0, पटना, दिनांक:- 04-09-15

प्रतिलिपि:-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालन्दा, बिहारशरीफ लोक अभियोजक, व्यवहार न्यायालय, नालन्दा, बिहारशरीफ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।


(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक:- 5676/जे0, पटना, दिनांक:- 04-09-

प्रतिलिपि:-माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(अखिलेश कुमार जैन)
सरकार के सचिव, बिहार।